332

संख्या– 206 / X-3-10-21(8) / 201

प्रेषक,

एम0एच0 खान
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

16 APR 2011

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः– 15 अप्रैल, 2011

विषयः–देहरादून के शहरी क्षेत्र में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–442 / X-3-10-21(8)/2010 दिनांक 21 मई, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो देहरादून जनपद के शहरी क्षेत्रों में हरितिमा वृद्धि व पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सभी प्रजाति के पेड़ों के पातन की अनुमति शासन के अनुमोदन के पश्चात् जारी किए जाने से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त जनपद देहरादून के शहरी क्षेत्रों में वृक्षों की पातन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) जिन मामलों में 02 वृक्षों तक पातन अनुज्ञा प्रस्तावित है, उनमें अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर गुण–दोष के आधार पर कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकती है।

(2) 02 से 05 वृक्षों तक की पातन अनुज्ञा जिलाधिकारी, देहरादून के स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा निर्गत की जा सकती हैः–

- जिलाधिकारी, देहरादून – अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) द्वारा नामित प्रतिनिधि
- आयुक्त, गढ़वाल द्वारा नामित दो विशेषज्ञ / पर्यावरणविद – सदस्य
- सचिव विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकास (SADA) – सदस्य
- अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, देहरादून – सदस्य
- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग – सदस्य
- – सदस्य–सचिव

(3) 05 से अधिक वृक्षों की पातन अनुज्ञा निर्गत करने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव

D/All data/2010/Sunil-Latter/2010

क्रमशः